

14/11/22

पत्रावली सहित। वकील वरिष्ठा शत्रुगं
 न्यायालय के द्वाप का- काट रुक रुक
 काट कावाजे लगायी गयी लेकिन ना तो
 वरिष्ठा ना ही वकील वरिष्ठा न्यायालय के
 निपट डपॉजिट हुये। अतः वाड रुक रुक दायिरी
 रुक रुक से खादिय किया जाता है पत्रावली
 निपटानुसार दायिरी दायर लेक नम्बर से
 फत है।

(प्रियंका तलानिया)
 उपखण्ड अधिकारी
 अनूपगढ

